पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

सड़ा

ग्राम पंचायत – शरम

तहसील व ब्लॉक – बिछीवाड़ा

जिला – डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गांव का इतिहास – सड़ा गाँव कई सदियों पहले बसा था। जंगल के बीच लोग बांस और लकड़ियों के हड़ा(घरों) में रहते थे। बॉस और मिट्टी की बनी हुई कच्ची दीवारों को और उनके मकान को हड़ा कहते हैं। हड़ा में रहने वाले लोगों के इस गांव का नाम हड़ा पड़ गया। बोल–चाल की भाषा में लोग "ह" का उच्चरण "स" करते हैं इसलिए धीरे–धीर गाँव का नाम "हड़ा" से "सड़ा" पड़ गया। गाँव में एक मंदिर है जो उमरी माताजी का है।

गांव का एक परिचय – डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर सड़ा गांव गुजरात की सीमा के पास बसा हुआ है जिसकी ग्राम पंचायत शरम और ब्लॉक तथा तहसील बिछीवाड़ा है। गांव में चार फले हैं काई फला, गरासिया फला, खराड़ी फला और भगोरा फला हैं। गाँव के आदिवासियों में काई, गरासिया, खराड़ी, मालीवीयाँ और भगोरा उपजातियाँ हैं। गाँव में राशन की दुकान नहीं है। राशन की दुकान वीरपुर(आधा किलोमीटर) में है गाँव सभा का गठन और शिलालेख 22 जनवरी 2017 को हुआ। पेसा कानून की समझ लगभग 40% गाँववासियों को है। गांव के पहाड़ और पहाड़ियों पर गाँव के लोगों का कब्जा है। गाँव से बाजार की दूरी 40 किलोमीटर है। धार्मिक स्थलों में एक उमरी माताजी का मंदिर है। गांव का पोस्ट ऑफिस गांव से आधा किलोमीटर दूर है वीरपुर में है। बस स्टैंड भी वीरपुर में है। गांव का निकटतम पुलिस थाना राम सागड़ा में है जो गांव से 20 किलोमीटर दूर है। कॉलेज के लिए डूंगरपुर जाना पड़ता है जो गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। गरीबी के कारण लोग बच्चों को पढ़ा पाने में भी असमर्थ है। कम उम्र में ही बच्चे परिवार की परवरिश के लिए कमाने बाहर शहरों में चले जाते हैं।

आवागमन की स्थिति – गांव सड़ा डूंगरपुर से बिछीवाड़ा मार्ग पर 40 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। कहीं आने जाने के लिए उन्हें करीब एक किलोमीटर पैदल चलकर मेवाड़ा जाना पड़ता है। वहीं से बसें मिलती हैं कभी–कभी जीप और टेंपो मिलते हैं। जीप और टेंपो लम्बे इन्तजार के बाद चलते हैं। वो भी पूरा भरने के बाद(ओवेरलोड) होने के बाद चलती है। एक चार–पांच सवारी की क्षमता वाले वाहन में पन्द्रह सौलह सवारी ठूस–ठूस कर भरी जाती है। गाँववासी पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। चार पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। बरसात के दिनों में वहां पैदल चल पाना भी मुश्किल होता है। मुख्य सड़क से गांव में जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है। पैदल या अपने साधन से मुख्य सड़क तक आना पड़ता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति – गांव में एक आंगनवाड़ी गरासिया फला में है। जिसकी हालत ठीक नहीं है।बरसात में उस की छत से पानी टपकता है। एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय गरासिया फले में है जिसमें 26 बच्चे हैं और अध्यापक मात्र एक है। सड़ा से वीरपुर गाँव में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करीब 15–20 बच्चे पैदल जाते हैं। सड़ा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। गाँव का निकटतम अस्पताल रेलावाड़ा (गुजरात) में है जो गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। गंभीर मरीजों हेतु निजी साधन से गुजरात के मोडासा ले कर जाते हैं आज तक कभी मरीज को बिछीवाड़ा या डूंगरपुर नहीं ले गए। गाँव के आस–पास कोई दवा की दूकान भी नहीं है। दवा खरीदने के लिए रेलावाड़ा जाना पड़ता हैं। गांव में पशु अस्पताल नहीं है इसलिए पशुओं को इलाज के लिए चिकित्सक को फोन करके बुलाते हैं।

गांव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है–

आवागमन की कमी – डूंगरपुर से सड़ा जाने के लिए डूंगरपुर से बस या जीप द्वारा मेवाड़ा तक आते हैं वहाँ से एक किलोमीटर दूर सड़ा हैं। गांव फलों के लिए कच्चे रास्ते या पगडंडी है। मुख्य सड़क से टेम्पों

या जीप भी साधन मिलते है लेकिन वो ओवरलोड भरते हैं और लम्बें इन्तजार के बाद चलते हैं। बरसात में नीचे के रास्तों में कीचड़ भर जाता है। पहाड़ी रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, जिनको आर.सी.सी. सड़क या समतल करने की बेहद जरूरत है। अभी वहां केवल पैदल ही आना जाना पड़ता है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी – सड़ा गाँव की जो समतल जमीन है केवल कुछ परिवारों के कब्जे में है और गांव का चरागाह नहीं है। पहले जो चरागाह भूमि थी उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। करीब 50-60% लोगों के पास जो जमीन है वह पहाड़ों की ढलान पथरीली एवं उबड़-खाबड़/पहाड़ी है जिससे उनके पास कृषि लायक भूमि नहीं है। किसी तरह से बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गांव के समतल जमीनों और कुछ पहाड़ियों के ढलान पर खेती होती है लेकिन बाकी खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों के उपयोग का गांव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। जमीन और पहाड़ियों को कब्जे में लेकर उसे उसी तरह छोड़ दिया गया है। ज्यादातर पहाड़ियां ना तो उनके नाम है न हीं उनको अभी तक अधिकार पत्र ही मिले हैं। गांव में तीन कच्चे एनीकट थे जिसमें से दो टूट गए हैं जो काम आ रहा है। गाँव के पास माजम नदी बहती है।

गांव के खेतों में लगभग 8-10 ट्यूबवेल(निजी) है उनमें मोटर लगा रखी है जो बिजली से चलती है। सड़ा गांव में लगभग 12 कुंए और 7-8 हैंडपंप है। गांव में दो छोटे तालाब है – लखमा कोदर का खेत तालाब दूसरा सोम/नगा का खेत तालाब। सड़ा में एक नाला है। गांव के पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोग गहराईयों वाला पानी पीते हैं जिससे फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ जाती और पानी का स्वाद भी खराब हो जाता है। इसके बारे में लोगों की कोई योजना नहीं है न ही गांव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए कोई आर. ओ. प्लांट ही है। कुल मिलाकर पानी के प्रबंधन की उनके पास अभी तक कोई योजना नहीं है। वह सिंचाई के लिए हो, जल स्तर ऊँचा करने के लिए हो अथवा शुद्ध पीने के पानी के लिए हो।

कृषि और रोजगार की स्थिति – मनरेगा में पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी अधिक है। गांव में सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या लगभग 8 है जिनमें अधिकतर शिक्षा विभाग में है। गांव के लोग मक्की, तुअर, उड़द, ज्वार, कपास, चावल, मूंगफली, सरसों, गेहूं, और चना आदि उगाते हैं। गाँव के लगभग 50-60 प्रतिशत लोगों की खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान, पथरीली एवं उबड़ खाबड़ है, जिससे बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल ही होती है। जिसमें दो-चार महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है बाकी समय उनको खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। गाँव के लोगों के पास पथरीली, ऊबड़-खाबड़, पहाड़ी की ढलान वाली ही जमीन है जिन पर वह खेती करते हैं। उनके पास इतनी कृषि भूमि भी नहीं है कि वह लोग सिंचाई की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था कर सके। इसलिए वह साल भर में मात्र एक फसल ले पाते हैं। मनरेगा में मजदूरी से आजीविका चलाना कठिन होने से गाँव के युवा राजस्थान के ही उदयपुर/डूंगरपुर अथवा महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। जहां वह 150 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं –

संसाधन	हालत	संभावनाएं
कृषि भूमि	समतल, पहाड़ी ढलान, उबड़-खाबड़,	गांव की कुछ जमीन का समतलीकरण

	पथरीली जमीन तथा पहाड़ है। पहाड़ियों पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। कुछ खेत की जमीन उपजाऊ भी है। खेतीबाड़ी करते हैं। कमजोर स्थिति वाले खेत की जमीन में देसी खाद डालते हैं। गांव में उन्नतशील बीज और खाद की कमी है। सार्वजनिक सिंचाई के साधन की कमी है।	करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर खेत में डालना। तालाब की मिट्टी खेत में डालना और खेत को उपजाऊ बनाना। ट्रैक्टर से खेत में उलट-पुलट करना (लगभग 1 फीट गहराई की जमीन) उलट-पुलट करवाना। इस से उपजाऊ मिट्टी बनती है और उससे पैदावार में बढ़ोतरी होती है। गाँव की बेकार पड़ी जमीन को गांव सभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं उस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है और वह जमीन खाली पड़ी है तो उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं।
बिलानाम भूमि	बिलानाम भूमि पर कुछ लोगों के व्यक्तिगत कब्जे में	बिलानाम भूमि पर कब्जेदार को अधिकार पत्र दिया जाए।
जल नाला कुआं हैंडपंप ट्यूबवेल एनिकट	गांव में जल का स्तर नीचे चला गया। गांव में तीन एनीकट है। उनमें से एक एनिकट की हालत ठीक इसमें भी 6 महीने ही पानी टिकता है बाकी सब में पानी रिस जाता है। गांव के खेतों में लगभग 8-10 ट्यूबवेल है। सड़ा गांव में लगभग 12 कुंए और 7-8 हैंडपंप है। गांव में दो तालाब है - लखमा कोदर दूसरा सोम/नगा का तालाब। सड़ा में एक नाला है। नाले में वर्षा ऋतु में पानी रहता है दीपावली आने पर नाला सूखने लगता है। अधिकतर कुए भी गर्मी में सूख जाते हैं। करीब कुछ कुँए हैं जिनमें पानी पूरे वर्ष रहता है। उनका भी कोई उपयोग नहीं ले रहे हैं। कुछ कम ही लोग कुएं का उपयोग करते हैं। हैंड पंप चलते हैं मगर जल स्तर गहरा होने की वजह से आधे सूखे पड़े हुए हैं। बोरवेल में पानी का स्तर भी कम हो गया है।	जल का स्तर ऊंचा उठाने के लिए नाले में एनिकट पक्के और कच्चे चेक डैम बनावाने हैं और तालाब भी बनाना है। गांव सभा का प्रस्ताव लेकर तालाब गहरा करवाना। हैंडपंप जल स्तर के अनुसार रेंज बढ़ाने का प्रस्ताव पास करवाना। नए तालाब का निर्माण करना। नाले के टूटे एनीकट अगर मरम्मत करके ठीक कर दिए जाएं तथा उस नाले पर और एनीकट बनाया जाए और गांव के पहाड़ों के दर्रे पर एनीकट का निर्माण कर दिया जाए तो गांव के लोगों की सिंचाई का संकट दूर हो सकता है। तो जलस्तर भी ऊंचा हो जाएगा और गांव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गांव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।
जंगल पेड़ - बबूल, सागवान, आम, महुआ आदि	गांव के जंगल पर वन विभाग का कब्जा है। वन विभाग की लापरवाही के कारण जंगल लगभग समाप्त है	वन का सामुदायिक दावा करना। जंगल के आस-पास पानी रुकने की व्यवस्था होने पर जंगल में आंवला, टीमरु,

	जंगल की हालत ठीक नहीं है कुछ पेड़ पौधे खत्म हो चुके और कुछ पेड बहुत कम संख्या में बचे हैं। जंगल से लघु वनोपज में फल, गौंद और लकड़ी लाते हैं। जंगल में कुछ महुए के भी पेड़ है पर कम है। कुछ गाँववासी महुए को कुछ छुट-पुट दूकानदारों को बेचते हैं (जो 15-30 रु. प्रति किलोग्राम बिकता है) और महुए के बीज का तेल भी निकलता है जो घरेलू उपयोग के काम आता है। वन से सूखी लकड़ी मिलती है जो जलाने के काम आती है। कुछ लोग घास भी जंगल से काट कर लाते है। जिसे सिर्फ घर में ही काम में लेते हैं।	सीताफल, आम, सागवान और अन्य वृक्ष लगाने से गाँव के लोगों को लघु वन उपज का से आय होगी। तेंदूपत्ता की मजदूरी का भाव बढ़ाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को देना। जंगल की रक्षा कर के गांव सभा में प्रस्ताव लेकर जंगल को बचाना। नए पेड़ पौधे लगाना। नया परकोटा बनाकर। वन विभाग से प्रस्ताव पास करवाएंगे।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - पशुपालन में लोग गाय, भैंस, बैल और बकरी पालते है। कुछ लोगों के पास अच्छी और उपजाऊ कृषि भूमि होने से चारे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। बाकी लोगों को चारे के संकट के कारण पशुपालन नहीं हो पाता। केवल कुछ लोगों के पास 1-2 गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो लीटर दूध देती है जो केवल बच्चों के पीने के काम आता है। कुछ लोगों के लिये बकरी और भेड़ पालन भी कर पाना कठिन है क्योंकि उनको चारा चराने की जगह उनके पास नहीं है। गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिती में नहीं हैं। फिर भी गर्मियों में चारे की कमी के कारण जैसे तैसे बाज़ार से चार खरीद कर खिलाना पड़ता है।

आजीविका के साधनों की कमी - खेती और मनरेगा में मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गांव में नहीं है। जिन लोगों के पास खेती ज्यादा है वह लोग कृषि और पशुपालन में लगे हैं। जिनके पास कृषि भूमि कम है उन परिवारों के लोगों को गुजरात के शहरों में दैनिक मजदूरी करने जाना पड़ता है क्योंकि मनरेगा में काम भी कम दिन ही मिलता है। मजदूरी भी 100रु. प्रति दिन से कम ही मिलती है जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - ज्यादातर गांव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में लगभग 90% लोगों को उज्जवला गैस कनेक्शन मिल गए हैं। कई लोगों को सौ दिन काम नहीं मिलने से वह श्रमिक कार्ड से वंचित हैं। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र भी हो चुकी है लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उम्र संशोधन कराने की एक तो जानकारी नहीं है और दूसरा अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। कभी-कभी उनसे इसके लिए शुल्क के अलावा अतिरिक्त पैसे की भी मांग की जाती है। यही हाल राशन की दुकानों पर भी है। कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। कभी कभी राशन की गुणवत्ता खराब होती है। गेहूं के अलावा ना तो उनको चावल और चीनी मिलती है। चीनी सिर्फ अन्योदय राशन कार्ड वालों को देते है वो भी दो तीन महीने में देते है। लोगों को मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है जिसके कारण लोगों को रात अंधेरे में बितानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को

पढ़ने की होती है क्योंकि बिजली भी समय से नहीं मिलती है और जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

गांव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता –

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक	वरीयता
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	जमीनों उबड़-खाबड़ होने के कारण रास्ते की समस्या। बीच बीच में नाले और दर्रे होने के कारण भी समस्या। पंचायत और लोक निर्माण विभाग रास्ते बनाता है लेकिन उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण रास्ते जल्दी खराब हो जाते हैं।	गांव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत की एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते का संकट का समाधान होने की संभावना है।	**तात्कालिक**	
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गाँव में बच्चों के शिक्षा का स्तर एकदम निम्न है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए न तो अध्यापक है और न हीं कमरे हैं सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता और उनकी शिक्षा नीति के कारण न तो अध्यापकों की नियुक्ति हो पा रही है न ही कमरों का निर्माण हो पा रहा है।	इस समस्या के समाधान के लिए गांव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए ब्लॉक के अन्य गांवों की भी मदद ली जाएगी।	**तात्कालिक**	
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गांव में कृषि योग्य भूमि कम है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गांव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नत शील बीज और खाद का अभाव है।	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गांव के नाले में पानी रोकने की योजना। बागवानी पर भी विशेष ध्यान देना।	**तात्कालिक**	
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान**	**व्यक्तिगत**	गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं। गांव में जिन लोगों को	गांव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का	**तात्कालिक**	

	संबधी समस्या		आवास की बेहद जरूरत है उनके आवास नहीं बने हैं। जो सक्षम लोग हैं उनके आवास बन गए हैं। जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं उनमें से कुछ लोगों का भुगतान नहीं हुआ है।	भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।		
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	लोग कई पीढ़ियों से गांव में बसे हैं लेकिन जितनी भूमि पर वह काबीज है उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है।	काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबीज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	**दीर्घकालिक**	
6	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गांव का भू-जल स्तर नीचे चला गया है। गर्मी में 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। गहराई के पानी का स्वाद भी खराब होता है और उसमें फ्लोराइड/आयरन होता है जिस से हड्डियों की बीमारियाँ होती है लोगों को चलते फिरने में परेशानी होती है।	शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	**W- Weakness कमजोरी**	**O- Opportunities अवसर**	**T- Threats चुनौतियां**
आवागमन - गांव में सड़कें हैं	आर.सी.सी. सड़क टूट फूट गयी है। कच्चे रास्ते को आर.सी.सी.न	रास्ते ठीक होने से गांव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय	मजबूत का कमेटियों गांव ना होना। सरकार तथा पंचायत की

	करना, पगदंडी को चौड़ा न करना।	किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।
जल नाला कुआं बोरवेल हैंड पंप	भू जल-स्तर 200 से 250 फीट नीचे होना। पानी का फ्लोराइड युक्त होना। एनिकट का रिसना। नहर के लिए लोगों का जमीन देने में आना कानी करना।	पुराने एनीकट की मरम्मत और नए एनिकट बनाना। बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गांव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
आजीविका के साधन	गांव की सभी पहाडियाँ और बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हैं, गांव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती कीजमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	गांव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गांव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गांव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा –

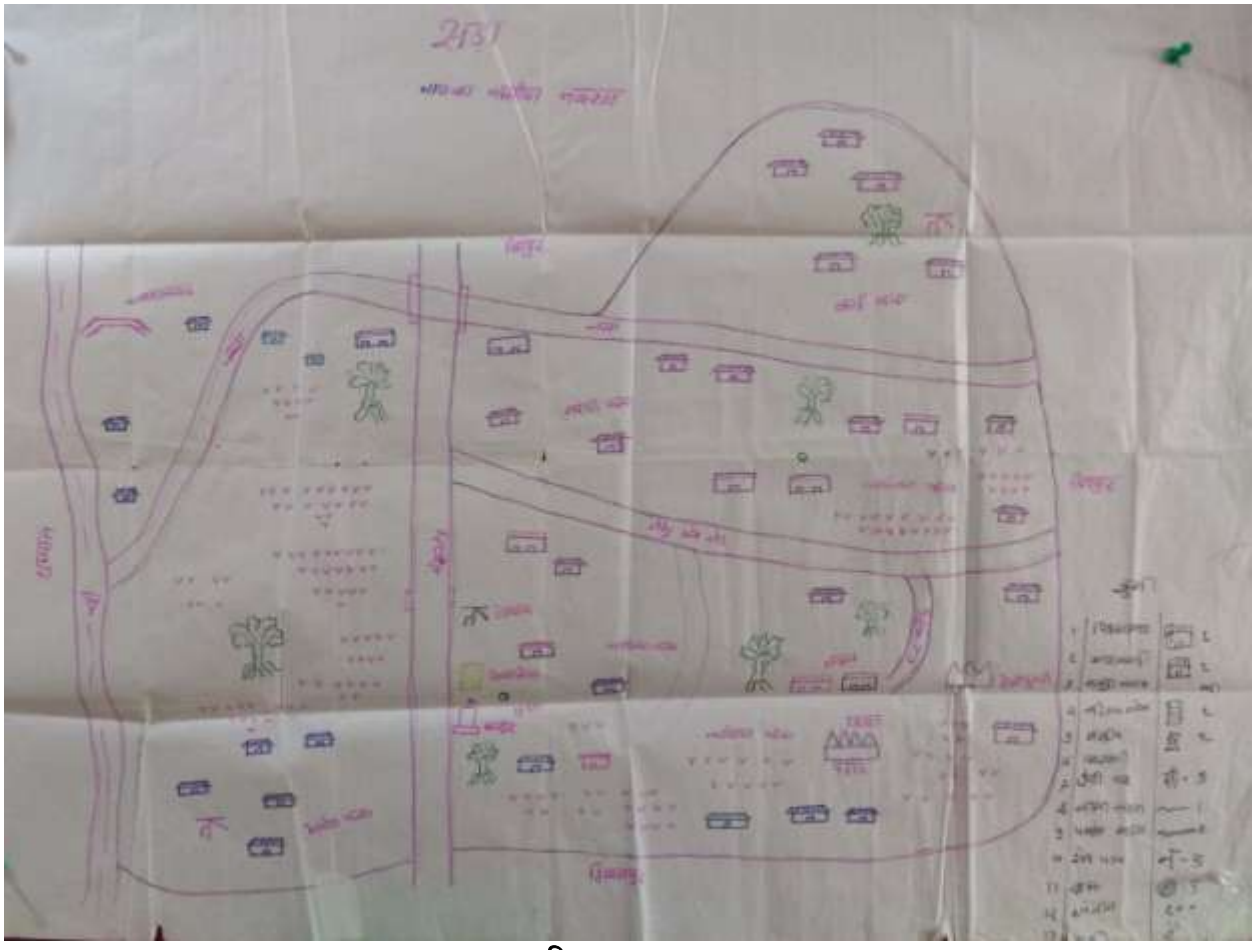

नजरिया नक्शा सड़ा

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण –

प्रस्ताव सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	भूमि समतलीकरण एवं मेड़बंदी	18	18
2	विविध प्रकार के पेंशन	1	1
3	कुआं का मरम्मत कार्य	5	5
4	आवास निर्माण	3	3
5	सड़क निर्माण		
	1. मेन रोड से शंकर/खेमा के घर होता हुआ कांति/खेमा के घर तक सीसी सड़क		
	2. मेन रोड से रमण/पूंजा घर होता हुआ पूंजा थावरा के घर तक		
	3. मेन रोड से रतीलाल के घर होता हुआ रामा जीवा के घर तक होता हुआ सीसी सड़क		
	4. सड़ा स्कूल से दिनेश/लखमा के घर तक वीरेंद्र/लखमा के		

	घर तक सीसी सड़क		
	5. मेन रोड से रामा हुका के घर होता हुआ हुका/नगा के घर तक सीसी सड़क		
	6. मेन रोड से शमशान घाट तक सीसी सड़क		
	7. मेन रोड से रमेश के घर होता हुआ बाल के घर तक सीसी सड़क		
6	चेकडैम पक्के 1. पूजा थावरा गरासिया 2. नारायण पूजा खराड़ी 3. सेना हावजी गरासिया	3	--
7	पुराने हैंडपंप मरम्मत करना	3	--
8	नई आंगनवाड़ी का निर्माण सड़ा स्कूल के पास	1	--
9	शिलालेख का चबूतरा बनाना	1	--
10	राडा/ऊमिया माताजी के चारों ओर एक पक्का परकोटा मय चबूतरा बनाना	1	--
11	श्मशान घाट बनाना एवं हैंडपंप लगाना और परकोटा बनाना	1	--
12	सड़ा श्मशान घाट के ऊपर साधन सामग्री रखने के लिए 15'X15' का एक पक्का कमरा बनाना और उसमें दरवाजा लगाना	1	--
13	बीपीएल को निशुल्क विद्युत कनेक्शन से जोड़ना	7	7
14	गांव में सामुदायिक भवन बनाना हेलू/खेमा के घर के पास सामुदायिक भवन	1	गाँव के समस्त परिवार
15	सौर ऊर्जा	4	--
16	कोट दीवार का निर्माण सड़ा श्मशान घाट से जावड़ी होता हुआ भगोरा फला तक कोट दीवार का निर्माण(दोनों साइड)		

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया –

सेवार्थ

श्रीमान् सरपंच महोदय,
ग्राम पंचायत [illegible]

विषय:- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन से पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

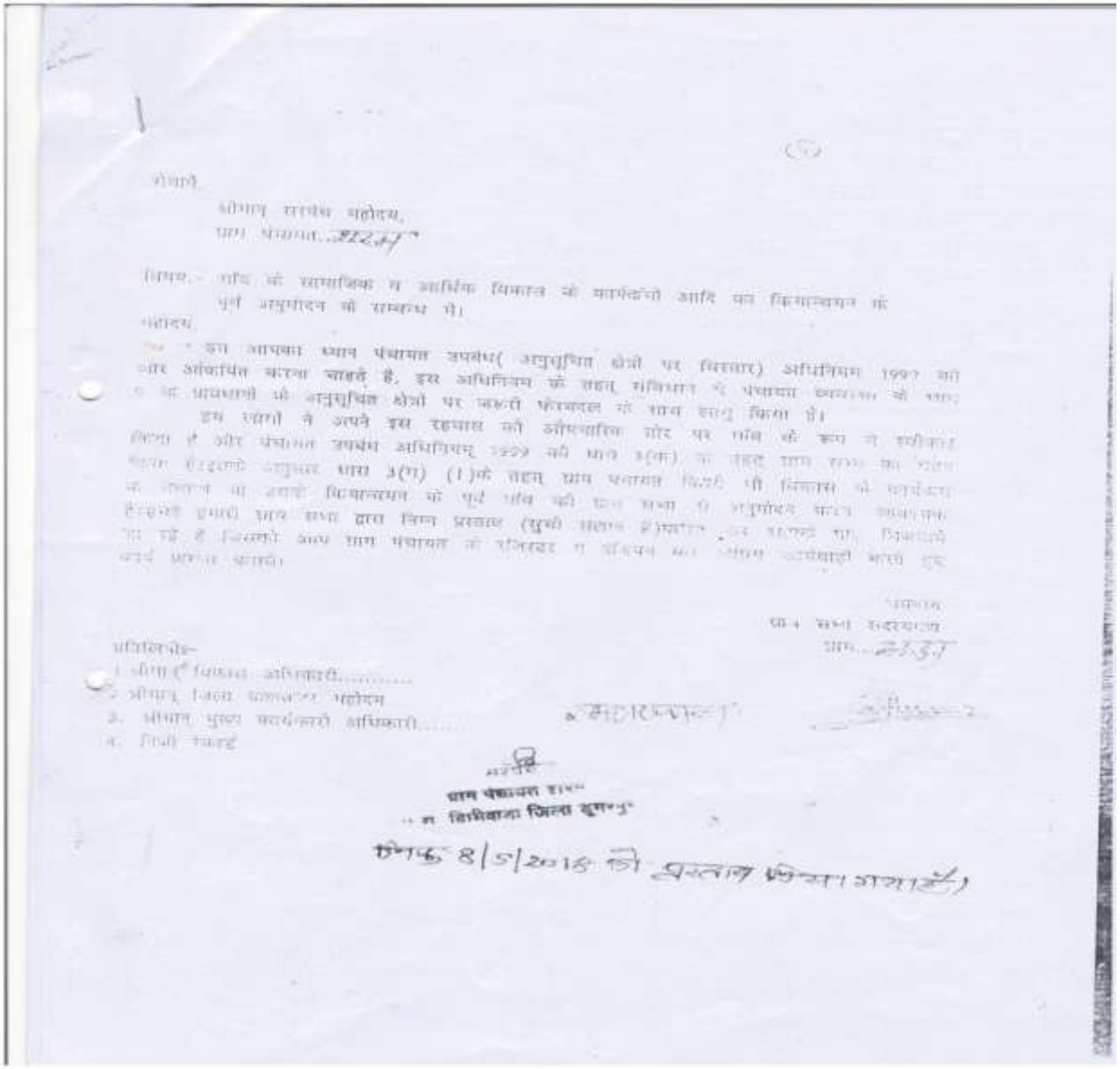

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1997 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत संविधान के पंचायत [illegible] के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागू किया है।

हम लोगों ने अपने इस [illegible] को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का [illegible] धारा 3(ग) (1)के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम [illegible] क्रियान्वयन से पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक [illegible] हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सूची संलग्न है) [illegible] जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में [illegible] अग्रिम कार्यवाही करते हुए [illegible] अवगत करावें।

भवदीय
ग्राम सभा [illegible]
ग्राम [illegible]

प्रतिलिपि-
1. श्रीमान् विकास अधिकारी..........
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी......
4. निजी रेकार्ड

सरपंच
ग्राम पंचायत [illegible]
[illegible] जिला डूंगरपुर

दिनांक 8/5/2018 को प्रस्ताव लिया गया है।

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

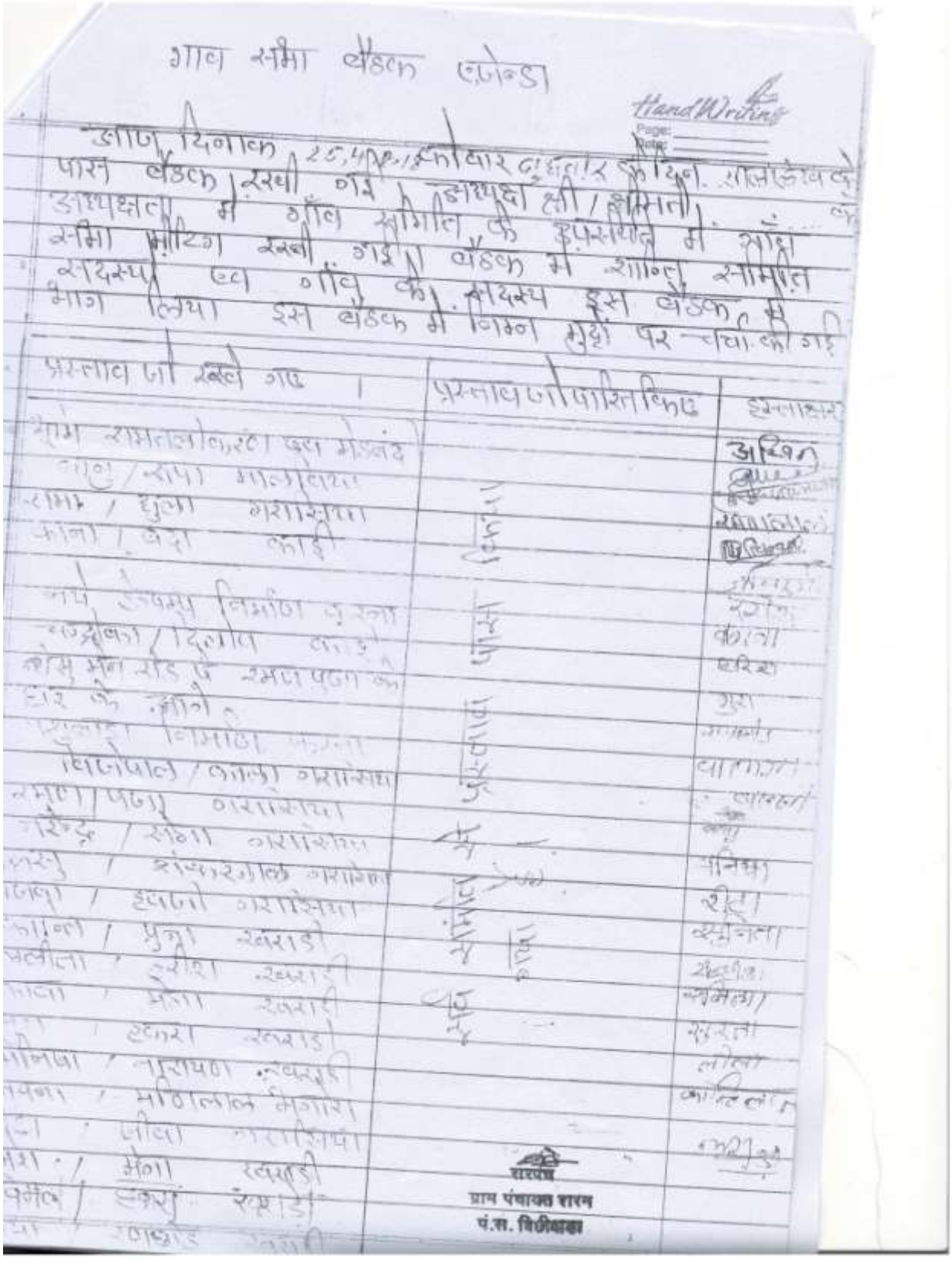

प्रस्ताव प्रथम पेज

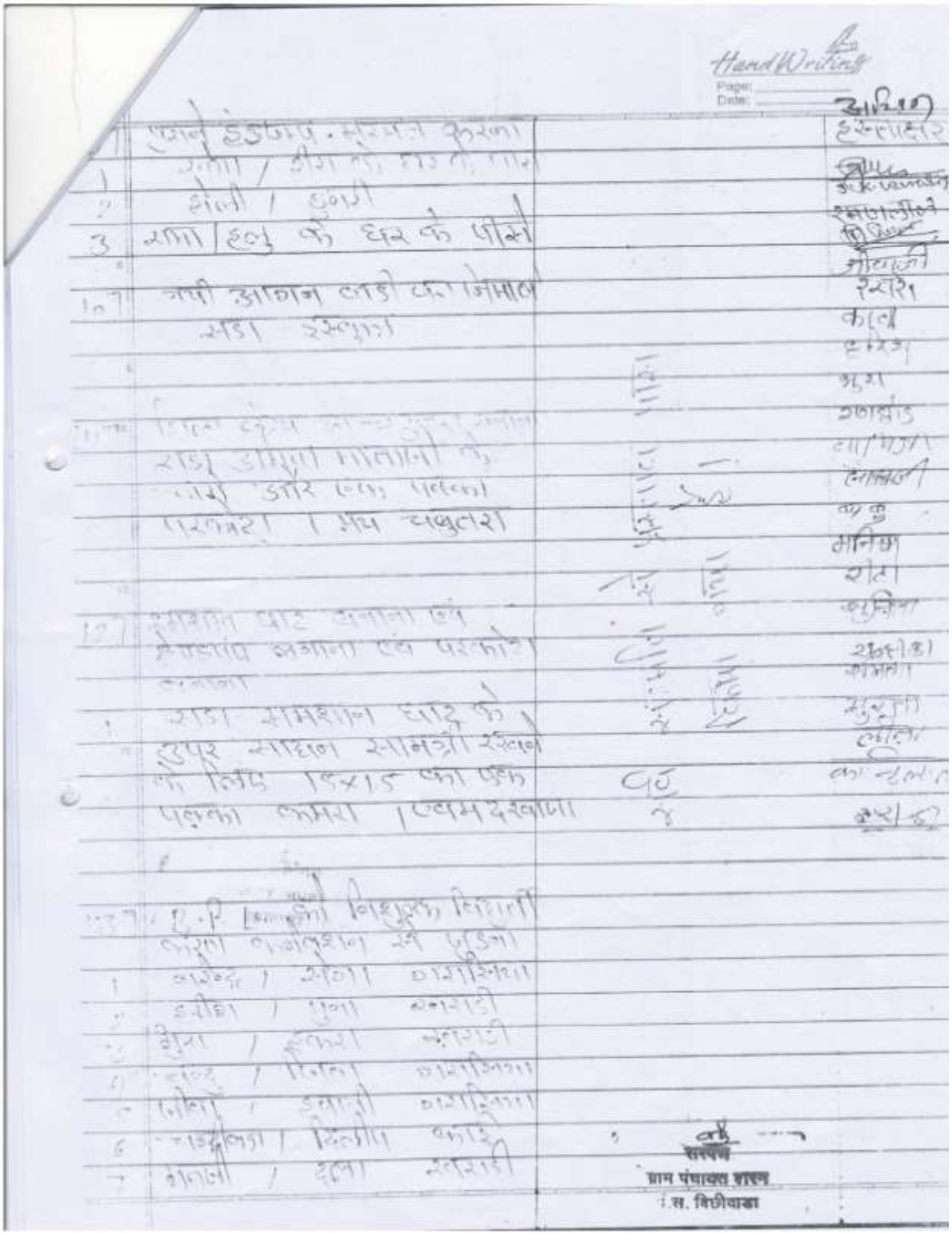

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) –

नाम	फोन न.
1. रमिला/धुलेश्वर गरासिया –	7727022658
2. चन्द्रिका दिलीप –	9909687628
3. रमनलाल पप्पूजी गरासिया –	8758502398